



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/08/256/2022/एफ.सी. 409

दिनांक: 12.09.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Water/152706/2022

विषय: जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पत्योरा डांडा ग्राम समूह पेयजल पाईपलाईन बिछाने हेतु जनपद महोबा में प्रभावित 01 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 118 वृक्षों/पौधों के पातन एवं जनपद हमीरपुर में प्रभावित 5.3 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 608 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल 6.3 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 726 पौधों/वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-पी-289/81-2-2022-800(302)/2022, लखनऊ, दिनांक-31.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. As per the proposal the area proposed for diversion in Hamirpur district is 5.3 ha., but according to the .kml file, the area proposed for diversion in Hamirpur district is 4.71 ha. This needs clarification/rectification.
2. The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 8.06 ha., which is less than the actual required CA land area.
3. Component wise breakup of land in required and component wise area calculation with the layout plan needs to be submitted.
4. An undertaking needs to be submitted by the User agency stating that the proposal includes entire forest area involved in the execution of said project no piece meal proposed shall be entertained.
5. Details of Alternative alignments needs to be provided in .kml file and also on toposheets.
6. No objection certificate from Irrigation department needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर एवं महोबा वन प्रभाग, हमीरपुर, महोबा।
4. अधिशासी अभियंता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), महोबा।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]